अध्याय-V: मानव संसाधन

5.1 प्रस्तावना

एफएसएसएआई के अधिदेश में खाद्य मानकों के संबंध में विनियम बनाना, मौजूदा सार्वजनिक खाद्य प्रयोगशालाओं का उन्नयन तथा नई प्रयोगशालाओं की स्थापना, खाद्य संरक्षा तथा मानकों का प्रभावशाली प्रवर्तन सुनिश्चित करना तथा सभी हितधारकों का प्रशिक्षण शामिल है जिसके लिए उसके कार्यों का निष्पादन करने हेतु विविध कार्यकौशल तथा ज्ञान की आवश्यकता है। अधिनियम संपूर्ण भारत पर लागू होता है जिसके प्रवर्तन के लिये राज्य प्राधिकारियों के साथ समन्वय की आवश्यकता होती है। इसकी उद्देश्यपूर्ति केवल अनुकूलतम मानव संसाधन प्रबंधन के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ तकनीकी, वैज्ञानिक तथा प्रशासनिक योग्यताधारी मानव संसाधनों की न्यायसंगत तैनाती की आवश्यकता है।

अधिनियम की धारा 9(2) में अनुबद्ध है कि खाद्य प्राधिकरण, केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से, उसके कार्यों के लिए अपेक्षित अधिकारियों तथा कर्मचारियों की संख्या, प्रकृति, तथा श्रेणियां निर्धारित कर सकता है। अधिनियम की धारा 9(3) के अनुसार, एफएसएसएआई के सीईओ, अधिकारियों तथा कर्मचारियों के वेतन, भत्ते तथा अन्य सेवा शर्तें केन्द्र सरकार के अनुमोदन से खाद्य प्राधिकरण के विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएंगे।

5.2 एफएसएसएआई में नियमित मानवशक्ति की गंभीर कमी के परिणामस्वरूप अनुबंधित कर्मचारियों पर अत्यधिक निर्भरता

मंत्रालय ने एफएसएसएआई के लिए विभिन्न स्तरों पर 356 पद संस्वीकृत किए थे। तथापि, चूंकि एफएसएसएआई द्वारा अपने भर्ती-विनियमों (आरआर) का अंतिमीकरण नहीं किया गया था, सभी श्रेणियों में अधिकतर पद नियमित कर्मचारियों द्वारा नहीं भरे गए। दिसंबर 2016 को एफएसएसएआई की नियमित स्टाफ स्थिति 115 थी जबकि इसने 261 अनुबंधित स्टाफ की नियुक्ति की।

¹ उदाहरणार्थ दिसम्बर 2016 तक 12 संस्वीकृत विरष्ठ स्तर पदों में से केवल आठ (सीईओ सिहत) भरे गए हैं (33 प्रतिशत रिक्तता); वैज्ञानिक सेवा श्रेणी में 30 पदों में से केवल 3 भरे गए (90 प्रतिशत रिक्तता); तकनीकी सेवाओं में 74 पदों में से केवल 24 भरे गए (68 प्रतिशत रिक्तता); तथा प्रयोगशालाओं के 87 पदों में से केवल 24 पद भरे गए (72 प्रतिशत रिक्तता)।

ऐसे अनुबंधित कर्मचारी एफएसएसएआई के 9 प्रतिशत ग्रुप ए, 88 प्रतिशत ग्रुप बी तथा 89 प्रतिशत ग्रुप सी संस्वीकृत पदों पर तैनात थे। कुल मिलाकर, एफएसएसएआई में कार्यरत 73 प्रतिशत कर्मी अनुबंध पर थे (अनुबंध - 5.1)।

एफएसएसएआई ने अपने उत्तर में बताया (मई 2017) कि 356 संस्वीकृत पदों के प्रति, एफएसएसएआई में 327 कर्मचारी कार्यरत थे तथा इस प्रकार, एफएसएसएआई में स्टाफ की कोई कमी नहीं थी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है। क्योंकि अधिकांश नियमित पद भरे नहीं गये थे अकेले ग्रुप ए संवर्ग में, 72 पद (52 प्रतिशत) खाली पड़े थे।

5.3 भर्ती विनियमों को एक दशक के पश्चात् भी अधिसूचित करने में विफलता

एफएसएसएआई (अधिकारियों तथा कर्मचारियों के वेतन, भत्ते तथा अन्य सेवा शतेंं) विनियम, 2013 तथा मसौदा एफएसएसएआई (भर्ती तथा नियुक्ति) विनियम एफएसएसएआई द्वारा मंत्रालय को 2012 में भेजे गए थे। एफएसएसएआई (अधिकारियों तथा कर्मचारियों के वेतन, भत्ते तथा अन्य सेवा शतेंं) विनियम, 2013 24 जुलाई 2013 को अधिसूचित किए गए, परन्तु एफएसएसएआई (भर्ती तथा नियुक्ति) विनियम अभी अंतिमीकरण किये जा रहे हैं तथा इन्हे सार्वजनिक राय हेतु मार्च 2016 में परिचालित किया गया तथा इनको अभी मई 2017 तक अंतिम रूप दिया जाना शेष था।

तथ्यों को स्वीकार करते हुए मंत्रालय ने बताया (जून 2017) कि विनियमों के अंतिमीकरण में काफी विलंब हो गया है। इसने आगे सूचित किया कि मसौदा भर्ती विनियम पुनः बनाए गए हैं तथा नए भर्ती विनियमों पर खाद्य प्राधिकरण का अनुमोदन अब ले लिया गया है।

तथ्य यही है कि अधिनियम के लागू होने के एक दशक पश्चात् भी खाद्य प्राधिकरण ने अपने भर्ती विनियम अधिसूचित नहीं किये हैं।

5.4 अनुबंधित आधार पर अप्राधिकृत नियुक्तियां

एफएसएसएआई में (दिसंबर 2016 को) तकनीकी, वैज्ञानिक, प्रशासनिक तथा सामान्य श्रेणियों में 261 अनुबंधित कर्मचारी कार्यरत थे। लेखापरीक्षा में देखा गया कि ये अनुबंधित कर्मचारी रोजमर्रा के क्रियाकलापों में कार्यरत थे जिससे अनुबंधित कर्मचारियों की निश्चित अविध के विशिष्ट कार्यों हेत् नियुक्ति का

प्रयोजन निष्फल होता है। उपरोक्त में से, 51 अनुबंधित कर्मचारी केवल 2016 में ही नियुक्त किये गये थे। इसके अतिरिक्त 61 अनुबंधित कर्मचारी एफएसएसएआई में पाँच वर्षों से भी अधिक से कार्य कर रहे थे² (दिसंबर 2016 तक)। लेखापरीक्षा ने यह भी देखा कि एफएसएसएआई द्वारा उनकी नियुक्ति से पूर्व उनके द्वारा किये जाने वाले विशिष्ट कार्य, अपेक्षित परिणाम तथा कार्य समाप्ति हेतु समयाविध निर्दिष्ट नहीं की गई थी। लेखापरीक्षा संवीक्षा के दौरान पाई गई कमियों की चर्चा आगामी पैराग्राफों में की गई है।

एफएसएसएआई ने स्वीकार किया (मई 2017) कि अनुबंधित स्टाफ को पाँच वर्षों से भी अधिक की अविध हेतु संलग्न किया गया था तथा वे (अंशकालिक विशेषज्ञों के अतिरिक्त) नियमित स्टाफ की ही तरह कार्य कर रहे हैं तथा किसी समयबद्ध विशिष्ट कार्यकलाप में कार्यरत नहीं है। इससे लेखापरीक्षा संकथन की पुष्टि होती है।

मंत्रालय ने अपने उत्तर (जून 2017) में बताया कि चूंकि एफएसएसएआई एक सामान्य सरकारी विभाग न होकर एक विशिष्ट प्रकृति के कार्य करने वाला पेशेवर निकाय है, कुछ भर्तियों को अनुबंधित आधार पर किया गया है जिसका प्रावधान विनियमों में है। परन्तु तथ्य यही है कि अधिकांश स्टाफ अनुबंधित आधार पर था।

निर्गम सम्मेलन (जून 2017) में एफएसएसएआई ने बताया कि सभी अनुबंधित नियुक्तियों की, उनके पारिश्रमिक, वेतन वृद्धि तथा कार्यकाल सहित समीक्षा हेतु एक आंतरिक समिति गठित की गई थी।

5.4.1 तकनीकी अधिकारियों की नियुक्ति में कमियाँ

तकनीकी अधिकारियों (टीओ) के संवर्ग में 17 रिक्तियों के प्रति, 93 अनुबंधित कर्मचारी दिसंबर 2016 को कार्यरत थे। ऐसी नियुक्तियां मंत्रालय द्वारा अन्मोदित टीओ संवर्ग की संस्वीकृत संख्या से अधिक थी।

एफएसएसएआई ने अपने उत्तर (मई 2017) में कहा कि टीओ ग्रुप बी संवर्ग के अंतर्गत आते हैं, तथा 111 संस्वीकृत ग्रुप बी पदों के प्रति, 115 कर्मचारी हैं जबिक ग्रुप ए में 64 लोगों की कमी है। चूंकि एफएसएसएआई वरिष्ठ तथा

_

² मसौदा भर्ती विनियमों के उपबंध 17 के विपरीत, जिसके अनुसार अनुबंधित नियुक्तियाँ अधिकतम तीन वर्षों की अविध तक सीमित की जानी हैं।

मध्य स्तरों पर भर्तियाँ नहीं कर सका, कई पद निम्न श्रेणियों पर संचालित किये जा रहे हैं। इससे कार्य से समझौता किए बिना खाघ प्राधिकरण को महत्वपूर्ण बचतें हुईं हैं। मंत्रालय ने अपने उत्तर (जून 2017) में एफएसएसएआई के तर्क का समर्थन किया। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि प्रत्येक संवर्ग के अंतर्गत पदों की श्रेणियाँ मंत्रालय द्वारा विशिष्ट रूप से संस्वीकृत की गई हैं तथा इन्हें आपस में बदला नहीं जा सकता।

5.5 सलाहकारों (आईटी पेशेवरों के अतिरिक्त) को संलग्न करने हेतु योजना

5.5.1 योजना में कमियाँ

दिसंबर 2014 में निरूपित सलाहकारों (आईटी पेशेवरों के अतिरिक्त) की संलग्नता हेत् योजना कई त्र्टियों से ग्रस्त थी जो निम्नान्सार हैं: (क) एफएसएसएआई के विनियमों में सलाहकारों की श्रेणी शामिल नहीं है, अतः एफएसएसएआई द्वारा इस श्रेणी का निर्माण अनिधकृत था; (ख) योजना एफएसएसएआई अध्यक्ष के स्तर पर अन्मोदित थी तथा इसे खाद्य प्राधिकरण/ मंत्रालय को प्रस्तुत नहीं किया गया था जैसा कि तत्पश्चात आईटी पेशेवरों को संलग्न करने की योजना के मामले में किया गया था; (ग) यद्यपि सलाहकार लगाये जाने हेत् सामान्य शर्तों (योजना के उपबंध । में वर्णित) में विशेष रूप से कहा गया है कि सलाहकारों को निरपवाद रूप से पूर्णकालिक आधार पर ही नियुक्त किया जाये, योजना के उपबंध 5.2 में अंशकालिक संलग्नता हेत् पारिश्रमिक का भी प्रावधान किया गया है; अतः ये दोनों उपबंध परस्पर विरोधी प्रतीत होते हैं; (घ) योजना के अंतर्गत, अंशकालिक सलाहकारों, जिन्हें महीने में दो सप्ताह कार्य करना अपेक्षित था, को प्रति माह चारों सप्ताह कार्य करने वाले पूर्णकालिक सलाहकारों द्वारा प्राप्त पारिश्रमिक के दो-तिहाई से तीन-चौथाई का भुगतान किया गया; दूसरी ओर जहाँ पूर्णकालिक सलाहकारों को कोई परिवहन स्विधा प्राप्त नहीं थी, अंशकालिक सलाहकारों को वापसी हवाई किराये की पात्रता थी। इसका औचित्य अभिलेखों में नहीं है। लेखापरीक्षा ने यह भी देखा कि एफएसएसएआई ने योजना का विज्ञापन भी नहीं निकाला था तथा निय्क्तियाँ सेवानिवृत सरकारी सेवकों एवं अन्य से प्राप्त आवेदनों के आधार पर की गई थीं। अतः यह योजना समानता, प्रतिस्पर्धा तथा पारदर्शिता के सिद्धांतों का उल्लंघन करती थी।

मंत्रालय ने (जून 2017) एफएसएसएआई के उत्तर (मई 2017) की पुष्टि की जिसके अनुसार किमयों के कारण योजना अब प्रचलन में नहीं थी। योजना के अंतर्गत सात सेवानिवृत व्यक्ति पूर्णकालिक आधार पर लगाए गये थे तथा एक को अंशकालिक आधार पर योजना चालू रहते लगाया गया था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि योजना बंद किये जाने का कोई साक्ष्य नहीं था तथा सेवानिवृत व्यक्ति अभी भी योजना की उन्हीं शर्तों पर एफएसएसएआई में कार्य कर रहे थे। योजना के अंतर्गत नियुक्त अंशकालिक कर्मचारी को अब एफएसएसएआई द्वारा 2016 में निर्मित एक नई योजना³ में स्थानांतरित कर दिया गया है।

5.5.2 पूर्णकालिक अनुबंधित स्टाफ की नियुक्ति में कमियाँ

उपरोक्त योजना के अंतर्गत, एफएसएसएआई ने मार्च 2015 में तीन पूर्णकालिक सलाहकार नियुक्त किये। लेखापरीक्षा में देखा गया कि यद्यपि योजना के अंतर्गत, ऐसी नियुक्तियाँ अस्थाई हैं, जिन्हें प्रत्येक मामले के आधार पर विशिष्ट कार्य तथा उसकी समाप्ति हेत् समयावधि के अन्सार बढ़ाया जा सकता है, इन सलाहकारों को बिना विशिष्ट समयाविध के नियमित तथा सामान्य कार्यों के लिए संलग्न किया गया था तथा उनका कार्यकाल समय-समय पर बढ़ाया गया था। उदाहरण के लिये, दो सलाहकारों को मार्च 2015 में मानक निर्धारण के विशिष्ट कार्य हेतु तथा उत्पाद अनुमोदन तथा स्क्रीनिंग समिति (पीएएण्डएससी) के सदस्यों के तौर पर लगाया गया। यह दोनों सलाहकार पीएएण्डएससी के कार्य में कार्यरत नहीं थे तथा वैसे भी सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के पश्चात् उत्पाद अनुमोदन प्रक्रिया अगस्त 2015 में बंद कर दी गई थी। इन सलाहकारों द्वारा किये गये कार्य के सबंध में एकमात्र आलेख वैज्ञानिक पैनलों के समन्वय के संदर्भ में था, परन्त् यह कार्य सामान्य तथा नियमित प्रकृति का है जिसे सलाहकारों की नियुक्ति की योजना के अनुरूप एक विशिष्ट कार्य के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता। इसके बावजूद इन सलाहकारों के कार्यकाल समय-समय पर बढाये गए हैं तथा इन्हे एफएसएसएआई द्वारा अब भी संलग्न किया ह्आ है। इसी प्रकार एक अन्य सलाहकार, जिसे मार्च 2015 में संलग्न किया गया था, को स्थापना तथा सतर्कता के नियमित कार्य दिये गए हैं, जो योजना के दिशानिर्देशों के अनुकूल नहीं है तथा वह सामयिक विस्तारों सहित उसी पद पर कार्यरत है।

³ विशेषज्ञ संसाधन, पेशेवर तथा व्यक्तिगत सलाहकार (अंशकालिक) के पैनलीकरण हेतु योजना।

मंत्रालय ने (जून 2017) एफएसएसएआई के उत्तर (मई 2017) की पुष्टि की जिसके अनुसार सलाहकार सामान्य तथा नियमित प्रकृति के बजाए विशिष्ट कार्य कर रहे थे। उत्तर स्वीकार्य नहीं हैं। वैज्ञानिक पैनलों के साथ समन्वय तथा स्थापना एवं सतर्कता संबंधी कार्य विशिष्ट कार्य नहीं कहे जा सकते।

5.6 योजना के बाहर पूर्णकालिक सलाहकार की नियुक्ति में किमयाँ

भारत सरकार के एक सेवानिवृत संयुक्त सचिव को एफएसएसएआई द्वारा एकल स्त्रोत आधार पर अत्यावश्यकता तथा अस्थाई प्रबंध के तौर पर जनवरी 2016 में नियुक्त किया गया। एफएसएसएआई द्वारा नियुक्ति के लिए जीएफआर 176 का संदर्भ लिया गया, जिसके अनुसार पूर्ण औचित्य फाईल में दर्ज कर सक्षम प्राधिकारी की अनुमित से एकल स्त्रोत चयन अनुमत्य है। उपरोक्त व्यक्ति को मुख्य प्रबंधन सेवा अधिकारी (सीएमएसओ) के रिक्त पद के प्रति नियुक्त किया गया था। अप्रैल 2016 में सीएमएसओ के पद पर एक नियमित अधिकारी द्वारा कार्यग्रहण के उपरोक्त भी सलाहकार की सेवाएं समाप्त नहीं की गई जबिक पद अस्थाई आधार पर भरे जाने की अत्यावश्यकता की मौलिक शर्त मौजूद नहीं थी। इसके स्थान पर, उसे सामान्य प्रशासन प्रभाग प्रमुख के रूप में नियुक्त कर लिया गया, जिस पद को सीएमएसओ के मौजूदा पद से निर्मित किया गया था जिसके लिए मंत्रालय का अनुमोदन उपलब्ध नहीं था।

मंत्रालय/एफएसएसएआई के उत्तर लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के संगत नहीं थे।

5.7 अनुबंधित कर्मचारियों की एक श्रेणी को अनियमित रूप से उच्चतर ग्रेड दिया जाना

मंत्रालय के स्वीकृति आदेशों (सितंबर 2010) के अनुसार एफएसएसएआई के सहायक तथा लेखा सहायक/प्रशासन-सह-लेखा सहायक केवल ₹4200 के ग्रेड वेतन के पात्र हैं। परन्तु खाद्य प्राधिकरण/मंत्रालय की स्वीकृति के बिना सीईओ, एफएसएसएआई ने सहायक तथा लेखा सहायक/प्रशासन-सह-लेखा सहायक का कार्य कर रहे अनुबंधित कर्मचारियों का वेतन निर्धारण ₹4,600 के ग्रेड वेतन पर अनुमोदित (मार्च 2015) कर दिया।

एफएसएसएआई ने तथ्य स्वीकार कर लिये (मई 2017) तथा कहा कि उपरोक्त का औचित्य अब तक अभिलेखों में नहीं मिल सका है। यदि कोई उचित कारण नहीं पाए जाते तो इसे वापस ₹4,200 कर दिया जायेगा।

5.8 कुछ विशिष्ट सलाहकारों को एफएसएसएआई द्वारा निर्धारित दरों से अधिक का अनियमित भुगतान

अप्रैल तथा जून 2016 के मध्य, एफएसएसएआई ने तीन विधाओं में नौ अनुबंधित कर्मचारियों (सलाहकार के रूप में पदनामित) की नियुक्ति की, जैसे (i) कौशल प्रशिक्षण तथा क्षमता निर्माण (तीन सलाहकार); (ii) वैधानिक आलेखन, विधि एवं विनियामक मामले (चार सलाहकार); तथा (iii) आईटी- तथा डाटा विश्लेषण (दो सलाहकार)। यह नियुक्तियाँ युवा पेशेवर कार्यक्रम के अंतर्गत नीति आयोग की योजना (जुलाई 2015) को अंगीकृत कर की गई। लेखापरीक्षा द्वारा निम्न कमियां देखी गईः

- (क) नीति आयोग की योजना एक साधारण योजना नहीं थीं तथा इसे किसी अन्य सरकारी निकाय द्वारा अपनाए जाने का कोई प्रावधान नहीं था।
- (ख) यद्यिप नीति आयोग के दिशानिर्देशों द्वारा पारिश्रमिक ₹40,000 से ₹70,000 की श्रेणी में निर्धारित किया गया था, एफएसएसएआई के आवेदन आमंत्रण नोटिस (फरवरी 2016) में कहा गया कि पारिश्रमिक की उच्चतम सीमा उपयुक्त अनुभव के वर्षों के आधार पर समुचित रूप से बढाई जा सकती है। इस विचलन के कारण अभिलेखों में नहीं पाए गए।
- (ग) कौशल प्रशिक्षण तथा क्षमता विनिर्माण विधा हेतु कार्य विवरण के अनुसार निर्धारित आवश्यकता एफएसएसएआई की जरूरतों के प्रति उन्मुख कौशल तथा उपलब्ध श्रमशक्ति के मध्य दूरियों की पहचान तथा प्रशिक्षण एवं क्षमता विनिर्माण मॉड्यूल विकसित करने की थी। अतः एफएसएसएआई में कौशल तथा क्षमता विनिर्माण हेतु योग्यता के लिए एक महत्वपूर्ण आवश्यकता खाद्य व्यवसाय में अनुभव है। परन्तु एफएसएसएआई ने किसी भी विषय, अग्रेजी में वाँछनीय, में स्नातकोत्तर तथा विद्यालयों/कौशल विकास में संगत अनुभव को अर्हता के रूप में निर्धारित किया तथा खाद्य कारोबार में अनुभव को कोई तरजीह नहीं दी।
- (घ) चयन समिति द्वारा अभ्यर्थियों की रैंकिंग तथा विभिन्न पारिश्रमिक पैकेज दिये जाने के आधार का कोई दस्तावेजी प्रमाण नहीं है। उदाहरण के तौर पर यद्यपि चयन समिति ने नियुक्ति हेतु पाँच अभ्यर्थियों की सिफारिश की तथा योग्यता अन्सार क्रमबद्ध किया, समिति द्वारा उनके

पारिश्रमिक क्रमशः ₹70,000, ₹50,000, ₹75,000, ₹90,000 तथा ₹50,000 अनुशंसित किये गये। इस प्रकार योग्यता क्रम में निचला स्थान प्राप्त अभ्यर्थी उच्च स्थान प्राप्त अभ्यर्थियों से अधिक पारिश्रमिक हेत् अनुशंसित किये गए।

(ङ) इसके अतिरिक्त, योग्यता क्रम में चौथे स्थान पर रखे गये अभ्यर्थी को न केवल अन्य सभी उच्चतर स्थान प्राप्त अभ्यर्थियों से अधिक पारिश्रमिक हेतु अनुशंसित किया गया बल्कि अभ्यर्थी को अतंत: ₹1.10 लाख के उच्चतर मासिक परिश्रमिक का भुगतान इस आधार पर किया गया कि उसे 20 वर्षों का अनुभव था। परन्तु लेखापरीक्षा में देखा गया कि अभ्यर्थी को छ: वर्षों से कम का शिक्षण तथा प्रशिक्षण अनुभव (नियुक्ति हेतु आवश्यक) था।

मंत्रालय ने एफएसएसएआई के उत्तर (मई 2017) की पुष्टि (जून 2017) की जिसके अनुसार सलाहकारों की इस श्रेणी की तुलना सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) सलाहकारों से की जानी चाहिए जो मार्केट दरों पर आधारित समेकित पारिश्रमिक प्राप्त करते हैं तथा प्रत्येक मामले में, राशि, पिछली नियुक्ति के वेतन एवं 15 प्रतिशत वृद्धि पर आधारित थी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि इससे योग्यता क्रम में निचला स्थान प्राप्त अभ्यर्थियों के उच्चतर स्थान प्राप्त अभ्यर्थियों से अधिक पारिश्रमिक की अनुशंसा तथा भुगतान के मामले का समाधान नहीं होता। इसके अतिरिक्त आईटी क्षेत्र की पेशेवर योग्यताओं की तुलना कौशल प्रशिक्षण एवं क्षमता विनिर्माण तथा वैधानिक आलेखन, विधि व विनियामक मामलों जैसे कार्यों के साथ नहीं की जा सकती।

5.9 राज्यों में अभिहित आधिकारियों (डीओ) तथा खाद्य संरक्षा अधिकारियों (एफएसओ) की कमी

अधिनियम की धारा 36 के अनुसार, एफएसएसएआई तथा राज्य खाद्य प्राधिकरणों के अंतर्गत अभिहित अधिकारियों को अन्य के अतिरिक्त, खाद्य बिक्री निषिद्ध करने, खाद्य संरक्षा अधिकारियों से खाद्य नमूने प्राप्त करने तथा उनका विश्लेषण कराने तथा अधिनियम के तहत अभियोजन संस्वीकृति की सिफारिश करने का अधिकार प्राप्त है। अधिनियम की धारा 38 के अनुसार एफएसओं को अन्य के अतिरिक्त, खाद्य नमूने उठाने तथा उनका निरीक्षण

कराने, शिकायतों की पड़ताल करने तथा अपने क्षेत्रों के भीतर सभी एफबीओ के डाटाबेस का अनुरक्षण करने के अधिकार प्राप्त हैं।

केन्द्रीय सलाहकार समिति की अनुशंसा (अगस्त 2014) जिसके अनुसार प्रति जिले हेतु एक डीओ तथा ग्रामीण इलाकों में प्रत्येक ब्लॉक तथा शहरी इलाकों में प्रति एक हजार एफबीओ हेतु एक एफएसओ की आवश्यकता बताई गयी थी, के अनुसरण में एफएसएसएआई ने एक अंतर विश्लेषण (सितंबर 2016) कराया जिसके अनुसार 12 राज्यों में डीओ की कमियाँ 5 से 80 प्रतिशत के बीच पाई गई; सभी राज्यों में 17,003 की आवश्यकता के प्रति 2,952 एफएसओ उपलब्ध थे जिसके कारण सभी राज्यों में कमियाँ 33 से 99 प्रतिशत थीं जिसमें से 12 राज्यों में 90 प्रतिशत से अधिक की कमियाँ रहीं। लेखापरीक्षा में छः राज्यों (असम, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा तथा उत्तर प्रदेश) में डीओ की कमी 7 से 81 प्रतिशत थी तथा नमूना परीक्षित राज्यों में एफएसओ की कमी 34 से 98 प्रतिशत थी। इन कमियों से राज्य खाद्य संरक्षा प्राधिकरणों के क्रियाकलापों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा जैसा इस प्रतिवेदन के पैराग्राफ 3.2 तथा 3.3.1 में चर्चा की गई है।

एफएसएसएआई तथा मंत्रालय ने अपने उत्तर (मई/जून 2017) में लेखापरीक्षा संकथनों को स्वीकार किया तथा कहा कि सुधारात्मक कदम उठाये जा रहे हैं।

निष्कर्षः

एक दशक से अधिक बीत जाने के बाद भी मंत्रालय/एफएसएसएआई द्वारा भर्ती विनियमों को अधिसूचित करने में विफलता के कारण विभिन्न स्तरों पर नियमित स्टाफ में गंभीर न्यूनताएं रह गई (महत्वपूर्ण पदों पर 33 प्रतिशत से 90 प्रतिशत)। अनुबंधित कर्मचारियों की नियुक्ति में अनियमितताएँ तथा राज्य खाद्य संरक्षा प्राधिकरणों में अभिहित अधिकारियों तथा खाद्य संरक्षा अधिकारियों की कमी देखी गईं।

अनुशंसाएं:

- मंत्रालय/एफएसएसएआई भर्ती विनियमों को अधिसूचित करने हेतु त्वरित कार्यवाही करे तथा रिक्त पद भरे।
- मंत्रालय, एफएसएसएआई द्वारा की गई सभी अनुबंधित कर्मचारियों की नियुक्ति की व्यापक समीक्षा करे।
- मंत्रालय तथा एफएसएसएआई अभिहित अधिकारियों तथा खाद्य संरक्षा अधिकारियों के संवर्ग में भारी रिक्तताओं को भरने हेतु राज्य खाद्य संरक्षा प्राधिकरणों को परामर्श देने हेतु अधिक प्रभावकारी कदम उठायें।

नई दिल्ली

दिनांक: 04 अगस्त 2017

(मुकेश प्रसाद सिंह)

क्ष प्र सिंह

महानिदेशक लेखापरीक्षा

केन्द्रीय व्यय

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली

दिनांक: 08 अगस्त 2017

(शशि कान्त शर्मा)

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक